



**गेल (इंडिया) लिमिटेड**

(भारत सरकार का उपक्रम - महारत्न कंपनी)

**GAIL (India) Limited**

(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

गेल भवन,  
16 भीकाएजी कामा प्लेस  
नई दिल्ली-110066, इंडिया  
GAIL BHAWAN,  
16 BHIKAJI CAMA PLACE  
NEW DELHI-110066, INDIA  
फोन/PHONE: +91 11 26182955  
फैक्स/FAX: +91 11 26185941  
ई-मेल/E-mail: info@gail.co.in

एनडी/गेल/सेक्ट/2020

23.01.2020

लिस्टिंग विभाग  
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड  
एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल,  
प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक,  
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)  
मुंबई-400 051

लिस्टिंग विभाग,  
बीएसई लिमिटेड  
फ्लोर 1, फिरोज जीजीभाय टॉवर्स,  
दलाल स्ट्रीट,  
मुंबई- 400001

**विषय : टेलिकम्यूनिकेशन विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनंतिम मूल्यांकन आदेश**


प्रिय महोदय,

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 30 के अनुसार, सूचित किया जाता है कि कंपनी को नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय, दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार से कई वित्त वर्षों के आईपी- II लाइसेंस के संबंध में वार्षिक लाइसेंस शुल्क हेतु अनंतिम मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुए थे। डीओटी द्वारा कंपनी के संपूर्ण राजस्व पर व्याज और जुर्माना सहित रु.1,83,076 करोड़ (एक लाख तेरासी हजार और छिहत्तर करोड़ रुपये) की तथा कथित रूप से कुल बकाया राशि जमा की थी गणना की गई, जिसे कंपनी द्वारा लाइसेंस के नियमों और शर्तों के लिए एक असंबंधित मामला होने से इनकार कर दिया गया था।

इस संबंध में मांगी गई कानूनी सलाह और मामले के तथ्यों के आधार पर, कंपनी का विचार है, कि अनंतिम मूल्यांकन के आदेशों में मूल्यांकित राशि कानूनी रूप से देय नहीं है। इस संबंध में, कंपनी ने 23 जनवरी, 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन भी दायर किया है, जिसमें पारित निर्णय को स्पष्ट करने की मांग की गई है।

धन्यवाद,

भवदीय,

  
(ए. के. झा)  
कंपनी सचिव